फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती अनुराधा — **विपक्षी : सरपंच नान्दवेल**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 05/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 01.04.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 एवं राजपेरोकार उपस्थित। अपीलान्ट् की ओर से अधिवक्ता श्री भोजपुरी गोस्वामी द्वारा वकालत नामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व राजपेरोकार द्वारा अपील को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 1907 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील में वर्णित आराजीयात मौजा नान्दवेल में स्थित है। उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 01.02.2021 को पंजीयन कराया गया, जिसका नामान्तरकरण 1907 भर कर ग्राम पंचायत को पेश हुआ जिसमें ग्राम पंचायत ने मौका स्थिति सही नहीं होने का अंकन करते हुए नामान्तरकरण खारिज कर दिया। जिसके तहत् ग्राम पंचायत के निर्णय को निरस्त कराने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण हेतु ग्राम पंचायत को पेश हुआ था जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा मौके की स्थिति सही नहीं होने का अंकन करते हुए नामान्तरकरण को खारिज किया, जबकि उक्त नामान्तरकरण पर भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी की इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई। चूंकि उक्त नामान्तरकरण को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक भूल की हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा भी अपील को स्वीकार किया जाने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। अतः अपील अपीलान्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 1907 दिनांक 22.03.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में साक्ष्य गवाह बयान आदि एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.02.2021 के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.04.19 13:56:04 IST
Reason: SelfAttested